to clear the backlog at the earliest by stepping up the supply.

(c) Yes, Sir.

(d) 72 LPG distributorship proposals have been included in the LPG marketing plan 1992-94. In addition, 128 proposals have been included in the marketing plan 1994-96. Also, it has been decided to upgrade six extension points in Garhwal Region and four (4) in Kumaon Region to fullfledged LPG distributorships. It takes 1 to 2 years for the commissioning of an LPG distributorship from the date of advertisement.

Supply of wagons to SAIL and CIL

333. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that because of short supply of Railway wagons and the decision of the Railway Ministry not to increase the rolling stock, working of SAIL and CIL was adversely affected during 1993-94 and 1994-95;

(b) the number of wagons indented by CIL and SAIL during the year 1994-95 vis-a-vis the real placement of wagons by the Railways; and

(c) the number of wagons for goods carriage added to the rolling stock, year-wise since 1991?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) The supply of Railway wagons for SAIL and CIL has been maintained at a satisfactory level, both in 1993-94 and 1994-95.

The CIL offered to load in 1994-95 an average of 16580 wagons per day. Actual loading was 16086 wagons in four wheelers per day (provisional) achieving a satisfaction level of 97 percent.

The indents for loading of finished steel by SAIL during 1994-95 was 1109 wagons per day. The actual loading has been 1077 wagons in four wheelers per day (provisional) thus achieving a satisfaction level of over 97 percent.

(c) Details of wagons procured from 1991-92 onwards, are as follows:—

Year	No. (in four wheelers)
1991-92	25,778
1992-93	26,129
1993-94	19,649
1994-95	10,575 + 1425 (Supply to be completed against order

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

*334 श्री शंकर दयाल सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में देश में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी जा रही है ;

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय ऐसे लोगों ने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन ली जिसके वे हकदार नहीं थे ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतें किन-किन राज्यों से आई हैं और इनमें किन-किन राज्यों के कितने-कितने लोगों के नाम हैं ?

गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण : (क) से (घ) स्कीम के प्रारम्भ से अब तक 1,62,341 व्यक्तियों को, उनके आश्रितों सहित, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्रदान की गई है उनके राज्यवार ब्यौरे दर्शाने

वाला ब्यौरा विवरण-I पर है (नीचे देखिए)।

वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जोकि इसके लिए पात्र नहीं है। चूंकि ऐसी शिकायतों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, इसलिए, उनकी जांच-पड़ताल राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, जांच पड़ताल, केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भी की जाती है। जांच पड़ताल के आधार पर या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना की समीक्षा के आधार पर ऐसी शिकायतों की पुष्टि होने पर, पेंशन बन्द कर दी जाती है। ऐसी जांच पड़ताल/समीक्षा के आधार पर, अब तक 2881 मामलों में पेंशन स्थगित तथा 1314 मामलों में निरस्त की जा चुकी है। इस बारे में राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 31-3-1995 तक स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	10978
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	4328
4.	बिहार	24533
5.	गोवा	905
6.	गुजरात	3550
7.	हरियाणा	1633
8.	हिमाचल प्रदेश	562
9.	जम्मू और काश्मीर	1779
10.	कर्नाटक	9938
11.	केरल	2803
12.	मध्य प्रदेश	3333
13.	महाराष्ट्र	16437
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैण्ड	3
18.	उड़ीसा	4151
19.	पंजाब	6868
20.	राजस्थान	782
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	4064
23.	त्रिपुरा	886
24.	उत्तर प्रदेश	17880
25.	पश्चिम बंगाल	22373
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—

27. चण्डीगढ़	. .	88
28. दादरा और नगर हवेली	.	—
29. दमण और द्वीप	.	33
30. दिल्ली	. .	2022
31. लक्षद्वीप	. .	—
32. पांडिचेरी	. .	312
33. आई.एन.ए.	.	21948
योग		162341

विवरण– ii

उन मामलों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण जिनमें स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्थगित/निरस्त कर दी गई है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामले स्थगित	मामले निरस्त
1.	आन्ध्र प्रदेश	101	4
2.	बिहार .	619	178
3.	गोवा	9	9
4.	हरियाणा	15	22
5.	हिमाचल प्रदेश	0	2
6.	कर्नाटक .	570	261
7.	केरल .	720	61
8.	मध्य प्रदेश	55	61
9.	महाराष्ट्र	227	36
10.	मेघालय .	7	13
11.	उड़ीसा .	12	85
12.	पंजाब .	101	26
13.	तमिलनाडु	15	81
14.	उत्तर प्रदेश .	228	222
15.	पश्चिम बंगाल	191	214
16.	दिल्ली .	2	26
17.	पांडिचेरी .	9	13
योग	.	2881	1314

Agreement Signed between India and Turkey

*335. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have signed any agreement with Turkey;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether the agreement would be helpful in political solution of Kashmir; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHID): (a) Yes, Sir. Two Agreements were signed during the visit of President Demirel of Turkey, 30 January—2 February 1995. The Agreements signed during the visit were: first, an Agreement on Avoidance of Double Taxation and second, an Agreement on Cooperation in Tourism.